कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल

क्रमांक / भू०अ० / प्राथमिक डिक्री / 2021 / 709 दिनांक 10-2-2021

Court
fee
11/02/2021

प्रेषित :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव भेजने बाबत

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक / रीडर / कोर्ट / 2021 / 13 दिनांक 04-01-2021 के संबंध में।

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि आपके न्यायालय के राजस्व वाद सं. 63/2020 नि० दि० 03-11-2020 अनाराम वगैरह बनाम शिवजीराम वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री एवं आपके आदेश क्रमांक 13 दिनांक 04-01-2021 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार हो चुका है, जो इस पत्र के संलग्न दो प्रतियों में भिजवाया जा रहा है,

अत: आपके न्यायालय की प्राथमिक डिक्री राजस्व वाद सं. 63/2020 नि० दि० 03-11-2020 की पालना सेवार्थ सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

संलग्न :- बंटवारा प्रस्ताव
दो प्रतियों में

Scanned with CamScanner

फर्द मौका व बंटवारा प्रस्ताव

आज दिनांक 05/02/2021 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (न्यायालय सहायक कलक्टर) नागौर के आदेश क्रमांक : रीडर/कोर्ट/2021/13 दिनांक 4-01-2021 एवं श्रीमान् तहसीलदार साहब जायल के आदेश क्रमांक/भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021/268 दिनांक 15-01-2021 की पालना में ग्राम खेड़ा नारनोलिया के खसरा नं. 106, 107, 47, 182 के मौके पर हमराह हल्का पटवारी रूपाराम के पहुंचा। वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया था। मौके पर वादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी सं. 1 शिवजीराम उपस्थित है। प्रतिवादी सं. 2 केशर पुत्री शिवजीराम शादी के बाद से ग्राम तरनाऊ में निवास करने से उपस्थित नहीं हो सकी।

उपरोक्त की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किया गया —

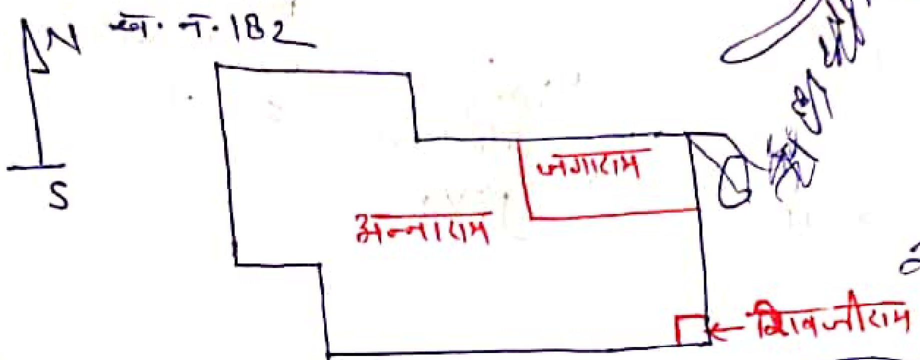

रामनिवास

मौके पर उपरोक्त नजरीनक्शानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है जिसका क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	लगान	दिशा
1.	अन्नाराम S/. शिवजीराम जाति जाट सा. देह	182	3.8898	16.82	दक्षिणी पश्चिमी नजरीनक्शानुसार
2.	रामनिवास S/. शिवजीराम जाति जाट सा. देह	47	3.6988	11.35	
3.	जगाराम S/. शिवजीराम जाति जाट सा. देह	106 107 182	1.2950 2.0234 0.9720 4.2904	2.40 3.74 4.20	उत्तरी पूर्वी
4.	शिवजीराम S/. पुसाराम जाति जाट सा. देह	182	0.0187	0.08	दक्षिणी पूर्व कोना

P.T.O.

Scanned with CamScanner

उपरोक्त तालिका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया।
उपस्थित वादीगण तथा प्रतिवादी उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत है।

उक्त मौका बंटवारा प्रस्ताव उपस्थित वादीगण व प्रतिवादी को पढ़कर सुनाया गया। जिससे सहमत व स्वीकार होना स्वीकार किया गया।

रामनिवास

9/02/2021

पटवारी
5/2/2021

C.S.

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

राजस्व वाद 63/2020
अनाराम वगैराह बनाम शिवजीराम वगैराह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

1. अनाराम पुत्र शिवजीराम
2. रामनिवास पुत्र शिवजीराम
3. जगाराम पुत्र शिवजीराम
   जातियान–जाट निवासीगण–खेड़ानारनोलिया ,तहसील–जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शिवजीराम पुत्र पुसाराम
2. केशर पुत्री शिवजीराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–खेड़ानारनोलिया तहसील–जायल
3. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री रामनारायण अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मुकेश विड़ियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक :** 11/02/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बडेर के खेत मौजा खेड़ानारनोलिया तहसील जायल में खसरा नं. 106 रकबा 1.2950 हैक्ट0, ख.न. 107 रकबा 2.0234 हैक्ट0 , ख.न. 47 रकबा 3.6988 हैक्ट0 ,ख.न. 182 रकबा 4.8805 हैक्ट0 भूमि स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 2 (क से ड़) अनुसार कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी

11/02/2021
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल,जिला नागौर

Scanned with CamScanner

योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करने की इस्तदुआ वकील वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में की।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने दिनांक 07.09.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर इकबाली जवाब जरिये अधिवक्ता मुकेश बिड़ियासर के पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण के संबंध में इकबालिया जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह शिवजीराम पुत्र पुसाराम, अनाराम पुत्र शिवजीराम, केशर पुत्री शिवजीराम जातियान जाट निवासीगण खेड़ा नारनोलिया के पेश हुये। शपथ पत्र अनाराम पर बयानात् कलमबद्ध कराये गये तथा नकल जमाबन्दी ग्राम खेड़ानारनोलिया तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 120 प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 163 प्रदर्श–2 पेश की एवम् ग्राम खेड़ानारनोलिया के नामान्तरकरण संख्या 966, 225, 320 की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श –3 से 5 पेश किये। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबालिय जवाब वादपत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा इकबालिया जवाब में पक्षकारान के मध्य ग्राम खेड़ानारनोलिया तहसील–जायल के खसरा नं. खसरा नं. 106 रकबा 1.2950 हैक्ट0 , ख.न. 107 रकबा 2.0234 हैक्ट0 , ख.न. 47 रकबा 3.6988 हैक्ट0

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

,ख.न. 182 रकबा 4.8805 हैक्ट0 भूमि का आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक इकबालिया जवाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत इकबालिया जवाब दिनांक 07.09.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमावंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। पिता के जीवनकाल में पुश्तैनी भूमि का बंटवारा तथा अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। वादपत्र में प्रस्तुत इकबालिया जवाब दिनांक 07.09.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने आपसी सहमति के बंटवाड़ा अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा खेड़ानारनोलिया के खसरा नं. 106 रकबा 1.2950 हैक्ट0 , ख.न. 107 रकबा 2.0234 हैक्ट0, ख.न. 47 रकबा 3.6988 हैक्ट0 ,ख.न. 182 रकबा 4.8805 हैक्ट0 भूमि का माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 2 (क से ड़) अनुसार बंट चाहा है जिसमें वादी संख्या 1 अनाराम बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खेड़ा नारनोलिया का खसरा नं. 182 रकबा 4.8805 हैक्टेयर में से 3.8898 दक्षिणी-पश्चिमी भाग जिसमें से 0.03 बीघा, पूर्वी दक्षिणी हिस्सा जो शिवजी के हक बंट में रखा गया है। वादी संख्या 2 रामनिवास के बंट व कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खेड़ा नारनोलिया के खसरा नं. 47 रकबा 3.6988 हैक्टेयर सम्पूर्ण, वादी संख्या 3 जगाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खेड़ानारनोलिया के खसरा नं 106 रकबा 1.2950 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नं. 107 रकबा 2.0234 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नं. 182 रकबा 4.8805 हैक्टैयर में से 0.972 हैक्टयेर उतरी

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

पूर्वी भाग रखा गया है। वादपत्र में वर्णित खसरान् की भूमि का पक्षकारान् द्वारा किया गया विभाजन पूर्णरूपेण प्रतीत नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में किसी प्रकार की भूमि नहीं रखने से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 03.11.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये जाकर तहसीलदार जायल से पक्षकारान को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आदेश पारीत किये गये।

तहसीलदार जायल ने उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 03.11.2021 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021 /709 दिनांक 10.02.2021 के प्रेषित किये जो सामिल पत्रावली है। वकुलाय का बंटवारा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया है जिन्होने बंटवारा प्रस्ताव सही होना जाहिर किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव के वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने को निवेदन किया। तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि बंटवारा प्रस्ताव पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि पक्षकारान् बंटवारा प्रस्ताव से सहमत है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्से में मुतदाविया खेताय की भूमि में से किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं रखा है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 मुतदाविया खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा के आदेश के साथ वाद पत्र निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी अन्नाराम के हक बंट में मौजा खेड़ा नारनोलिया तहसील जायल के खसरा नं. 182 रकबा 4.8805 में से रकबा 3.8898 हैक्टैयर दक्षिणी

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

पश्चिमी हिस्सा माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी रिपोर्ट) नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है

2. वादी रामनिवास के हक बंट मे मौजा खेड़ा नारनोलिया तहसील जायल के खसरा नं. 47 रकबा 3.6988 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी रिपोर्ट) खातेदारी में घोषित किया जाता है

3. वादी जगाराम के हक बंट में मौजा खेड़ा नारनोलिया तहसील जायल के खसरा नं. 106 रकबा 1.2950 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नं. 107 रकबा 2.0234 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नं. 182 रकबा 4.8805 हैक्टेयर में से 0.9720 हैक्टयरू उत्तरी-पूर्वी हिस्सा माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी रिपोर्ट) नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है

4. प्रतिवादी शिवजीराम के हक बंट में मौजा खेड़ा नारनोलिया तहसील जायल के खसरा नं. 182 रकबा 4.8805 में से रकबा 0.0187 हैक्टैयर दक्षिणी पूर्वी हिस्सा माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी रिपोर्ट) नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है

5. तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 2 का मुतदाविया खेताय में हक हिस्सा नहीं रखे जाने से नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.), जायल *

11/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या : 63/2020

1. अनाराम पुत्र शिवजीराम
2. रामनिवास पुत्र शिवजीराम
3. जगाराम पुत्र शिवजीराम

जातियान–जाट निवासीगण–खेड़ानारनोलिया ,तहसील जायल (नागौर)

प्रतिवादीगण – **बनाम**

1. शिवजीराम पुत्र पुसाराम
2. केशर पुत्री शिवजीराम

जातियान–जाट, निवासी–खेड़ानारनोलिया तहसील–जायल (नागौर)

3. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री रामनारायण अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मुकेश बिड़ियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामनारायण चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1व 2 हाजरी श्री मुकेश बिड़ियासर प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादी का वाद तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है

1. वादी अन्नाराम के हक बंट में मौजा खेड़ा नारनोलिया तहसील जायल के खसरा नं. 182 रकबा 4.8805 में से रकबा 3.8898 हैक्टैयर दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी रिपोर्ट) नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है
2. वादी रामनिवास के हक बंट मे मौजा खेड़ा नारनोलिया तहसील जायल के खसरा नं. 47 रकबा 3.6988 हैक्टैयर सम्पूर्ण हिस्सा माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी रिपोर्ट) खातेदारी में घोषित किया जाता है
3. वादी जगाराम के हक बंट में मौजा खेड़ा नारनोलिया तहसील जायल के खसरा नं. 106 रकबा 1.2950 हैक्टैयर सम्पूर्ण, खसरा नं. 107 रकबा 2.0234 हैक्टैयर सम्पूर्ण एवं खसरा नं. 182 रकबा 4.8805 हैक्टैयर में से 0.9720 हैक्टयर

11/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

उतरी–पूर्वी हिस्साा माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी रिपोर्ट) नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है

4. प्रतिवादी शिवजीराम के हक बंट में मौजा खेडा नारनोलिया तहसील जायल के खसरा नं. 182 रकबा 4.8805 में से रकबा 0.0187 हैक्टैयर दक्षिणी पूर्वी हिस्सा माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पीडी रिपोर्ट) नजरी नक्शानुसार खातेदारी में घोषित किया जाता है

5. तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 2 का मुतदाविया खेताय में हक हिस्सा नहीं रखे जाने से नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....11/02/2021...... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

11/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner